न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	25/2020	13.10.2020	39/25 (2025/42)	16.01.2025	28.04.2026	1 लगायत 9
2	30/23	12.09.2023				

1. श्रीमति सुशीला देवी पत्नि स्व0 गुलाबचन्द्र उम्र 60 साल जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी – अपीलार्थीगण

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र मानकचन्द्र जाति महाजन निवासी गर्ल्स सीनीयर सैकण्डरी स्कूल के सामने स्टेशन रोड गंगापुर सिटी।
2. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।

– रेस्पोडेन्टान

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री हर्षवर्धन शर्मा ।

रेस्पोडेन्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री भानु कुमार सिघंल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील ग्राम गंगापुर सिटी के नामान्तकरण सं0 32 दिनांक 16.08.1956 वाके ग्राम गंगापुर सिटी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 32 दिनांक 16. 08.1956 द्वारा ग्राम गंगापुर सिटी में स्थित भूमि ख0नं0 678 का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान भूमि का नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट सं0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी, प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अधिनियम व सपठीत बहस अर्न्तगत अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी में दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीया अपीलान्ट रेवन्यू रिकोर्ड आदि की एवं प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 15.06.2011 पंजीयन दिनांक 21.06.2011 को हुआ सरवती बेवा फत्तूलाल ने बहस सुशीला देवी कराया, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.01.1956 की प्रमाणित प्रति एवं जमाबन्दी सम्वत् 2012 से 2015 कस्बा गंगापुर सिटी खं0नं0 364 रकबा 8 विस्बा, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 कस्बा गंगापुर सिटी ,खं0नं0 364 रकबा 8 बिस्बा बाबत् रामनाथ व माणकचंद, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल एकीकरण विभाग ,प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी एकीकरण विभाग सम्वत् 2019 बाबत् रामनाथ व मानकचन्द प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 गंगापुर सिटी खं0नं0 463/638 पेश करी है। उक्त दस्तावेज प्रकरण में न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक व सुसंगत दस्तावेज है तथा प्रमाणित प्रतिलिपि है। जिनकी शंका में कोई संदेह नहीं है। उक्त दस्तावेज पूर्व में भूलवश रिकोर्ड पर पेश नहीं कर सकी है। उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायोचित है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त दस्तोवेजों को रिकोर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या जिस कदर तहरीर है गलत होने से स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित रेवन्यु रिकोर्ड, वसीयत नामा, विक्रय पत्र , जमाबन्दी व अन्य रिकार्ड जो इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पेश करना चाहा है उक्त समस्त रिकोर्ड अपीलार्थी की शुरू से ही जानकारी में रहा है। मगर अपीलार्थी ने उक्त रिकार्ड प्रकरण में पूर्व में क्यों नहीं पेश किया उसका कोई उचित व पर्याप्त कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित है कि " इग्नोरेन्स ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज" ऐसे में अपीलार्थीया यह नहीं कह सकती है कि उक्त दस्तावेज पूर्व में भूलवश पेश नहीं कर सकी। इस तरह अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा उक्त दस्तोवज रिकार्ड से हटाये जाने योग्य है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 39/25 उनवान श्रीमति सुशीला बनाम गिर्राज प्रसाद व अन्य

उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विवादित आराजीयात से संबंधित होने और गुणावगुण पर न्यायनिर्णयन हेतु सहायक होने की परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों की प्रार्थना पत्र दफा 5 व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956 पर बहस सूनी गई।

अधिवकता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व मूल बहस सूनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि ऐसा आदेश जो प्रारम्भ से ही शून्य है उस पर कोई मियाद लागू नहीं होती है। जबकि प्रार्थीया की दादी सास अनपढ औरत थी उसे रवेन्यु इन्द्राज के बारे में जानकारी नहीं थी तथा प्रार्थीया अनपढ औरत है। प्रार्थीया को भी नामान्तकरण सं0 32 के गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी प्रार्थीया को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी रेस्पोडेन्ट गिर्राज द्वारा नगर परिषद् गंगापुर सिटी से फर्जी पट्टा बनवा लेने एवं प्रार्थीया द्वारा नामान्तकरण सं0 32 की नकल दिनांक को तहसील गंगापुर सिटी से प्राप्त करने से हुयी है जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश की जा चुकी है , साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी अपील पेश करने मे हुआ डिले क्षमा करने हेतु निवेदन किया है तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने मूल बहस निवेदन किया कि मु0 सरवती बेबा फत्तूलाल जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी की भूमि संवत 2008 ख0नं0 678/2 रकबा 8 विस्वा में से सरवती ने 4 विस्वा भूमि रामनाथ व मानकचन्द्र को दिनांक 12.01.1956 को विकय की थी जिसका रजिस्टर्ड विकय पत्र भी 13.01.1956 को रामनाथ व मानकचन्द्र के हक में उप पंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा रजिस्टर्ड कर दिया गया, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पवत्र के आधार पर नामान्तकरण सं० 32 दिनांक 16–8–56 को रामनाथ पुत्र भौरीलाल एंव मानकचन्द पुत्र भौरीलाल के हक में तस्दीक कर दिया गया, उक्त नामान्तकरण को तस्दीक करते समय हल्का पटवारी द्वारा ख0नं0 678 रकबा 8 विस्वा में से भूमि रामनाथ महाजन व मानकचन्द महाजन को बेच दी हैं अस्पष्ट अंकित कर दिया गया। नामान्तकरण की तस्दीकी इबारत ममें अस्पष्ट अंकन होने की वजह से उक्त नामान्तकरण सं0 32 दिनांक 16–8–56 का नोट जमाबन्दी संवत 2013–15 में अंकित किया गया था उसमें मृतक रामनाथ एंव मानकचन्द से सांठगांठ करते हुये हल्का पटवारी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

द्वारा 4 विस्वाकी बजाय सम्पूर्ण 8 विस्वा का मालिक रामनाथ एंव मानकचन्द को दर्ज करते हुये जमाबन्दी में नोट अंकित कर दिया तथा सरवती बेबा फत्तूलाल के नाम को हजफ कर दिया। जबकि सरवती बेबा फत्तूलाल को 4 विस्वा भूमि की खातेदारी रिपीट करनी चाहिये थी। एकीकरण मे ख0नं0 678 के नये नम्बर 364 रकबा 8 विस्वा कायम किये हैं तथा ख0नं0 364 के इन्द्राज गलत नामान्तकरण के आधार पर रामनाथ एंव मानकचन्द के नाम दर्ज कर दिये तथा रामनाथ के मरने के बाद रामनाथ की विरासत मानकचन्द के नाम दर्ज हो गयी। एकीकरण ख0नं0 364 के वर्तमान सेटलमेन्ट में नये नम्बर 463/638 रकवा 10 ऐयर कायम किये हैं उक्त भूमि को फर्जी रूप से नाजायज लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से गिर्राज प्रसाद द्वारा अपीलार्थीया व उसकी दादी सास सरवती की बिना जानकारीके 90 वी में तब्दील करवा दिया तथा 90 वी की पूर्व स्वंय के नाम हुयी गलत एन्ट्री के आधार पर रेस्पोडेन्ट द्वारा नगर परिषद से स्वंय के नाम पट्टा बनवा लिया सरवती बेबा फत्तूलाल ने अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलार्थीयाके नाम सन 2011 में रजिस्टर्ड करवादी। इस आधार पर अपीलार्थीया ख0नं0 463/638 रकवा 0.05 हेक्टर की मालिक हैं लेकिन नामान्तकरण सं० 32 से अपीलार्थीया के हितो पर विपरित असर पड रहा हैं इसलिये अपीलार्थीया को यह अपील निम्न आधारो पर पेश करनी आवश्यक हुयी हैं। अपीलार्थीया द्वारा 90 बी के आदेश को अदालत हाजा के सामने चैलेन्ज नहीं किया गया हैं बल्कि अपीलार्थीया द्वारा नामान्तकरण सं० 32 दिनांक 16–8–56 को चैलेन्ज किया गया हैं।नामान्तरण सं० 32 दिनांक 16–8–56 विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य हैं। अपीलार्थीया व उसकी दादी सास श्रीमती सरवती को नामान्तकरण सं० 32 की कोई जानकारी नही थी। नामान्तकरण सं0 32 की कार्यवाही अपीलार्थीया व उसकी दादी सास की सम्पत्ति को हडपने के उदेश्यसे फर्जी रूप से पोशिदा तरीके से की गयी। सिविल न्यायालय में रामपति द्वारा वसीयत खारिज करने हेतु अपीलार्थी के खिलाफ दावा प्रस्तुत किया हुआ हैं उक्त दावे में यह विवाद नहीं है कि भूमि का रकबा कम है या ज्यादा है। सरवती द्वारा दो वसीयत की गई है। एक तो सुशीला को तथा एक रामपति को। सरवती द्वारा नकल लेकर धर में रख ली गई थी। तहसील में क्या नामान्तकरण खुला इसकी जानकारी होना नहीं माना जा सकता, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 32 दिनांक 16.08.1956 कस्बा गंगापुर सिटी निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट से दौराने बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का चरण संख्या । जिस कदर तहरीर है, गलत होने से स्वीकार नहीं है। नामान्तकरण संख्या 32 जो दिनांक 16-8-1956 को खोला गया था, के सम्बन्ध में जारी उक्त आदेश कोई प्रारम्भ से ही शून्य नहीं है बल्कि उक्त आदेश रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया था। इस कारण विधि सम्मत आदेश है। प्रार्थीया की कथित दादी सास सरबती कोई अनपढ महिला नही थी। बल्कि एक समझदार महिला थी जिसने बिना किसी सहारे के वर्षों तक मुकदमे बाजी लडी है तथा स्वंय अकेली ही रहती थी और अपने सारे काम स्वंय ही करती थी। उक्त नामान्तकरण संख्या 32 भी उक्त सरबती की मौजूदगी मे ही खुला था जिसका नोट उक्त नामान्तकरण संख्या 32 पर भी लगा हुआ है जो इस प्रकार है "आज यह नामान्तकरण पेश हुआ, मु० सरबती, व रामनाथ, व ऊँकारया हाजिर है और जाहिर किया कि सरबती ने अपनी खातेदारी की आराजी नम्बर 678/13 मे से भूमि रामनाथ महाजन व माणक चन्द महाजन को बेच दी है। जिसकी रजिस्ट्री तहसील से हो चुकी है, अतः सरबती के वजाय खातेदारी रामनाथ पुत्र भौरौलाल व मानिकचन्द पुत्र रामनाथ महाजन के नाम माफिक नामान्तरकरण मन्जूर की जाती है तारीख 16-8-56 एस. डी. (अपठित)" उक्त नोट से भी स्पष्ट है कि नामान्तकरण की उक्त कार्यवाही सरबती के समक्ष ही एव सरबती द्वारा जाहिर करने के आधार पर ही खोली गयी थी ऐसे मे दरख्वास्त देहन्दा का यह लिखना कि उक्त नामान्तकरण की पूर्व में कोई जानकारी नही थी, स्वतः ही गलत हो जाती है। इसके अलावा जिस समय उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही की गयी थी उस समय तो दरख्वास्त देहन्दा अपीलार्थीया का उक्त सरबती के परिवार से किसी तरह कोई नाता ही नहीं था क्योंकि दरख्वास्त देहन्दा अपीलार्थीया अपने आपको उक्त सरबती की पोत्रबधु बताती है तो वह दूसरे परिवार से शादी होकर ही आई होगी और शादी बालिग अवस्था में ही हुई होगी। अपीलार्थीया ने अपनी आयु अपील में 60 वर्ष लिखी है। जिस हिसाब से अपीलार्थीया का जन्म सन् 1960 में होना प्रकट होता है। उक्त सभी तथ्यो से यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही अपीलार्थीया के जन्म से पूर्व ही सन् 1956 में हो चुकी थी यानि उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही से कम से कम 22 साल बाद अपीलार्थीया का विवाह होकर आई होगी ऐसे में अपीलायौंया उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही को कैसे चेलेन्ज कर सकती है इसके अलावा उक्त सरबती का देहान्त सन् 2014 में हुआ था । यदि उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही गलत होती तो सन् 1956 से 58 साल की अवधि में कभी तो उक्त सरवती द्वारा किसी तरह की कोई कार्यवाही की जाती । अपीलार्थीया अपने आपको सरबती की कथित बसीयत के आधार पर वारिस बताती है। जब

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सरबती ने ही उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपने जीवनकाल में कभी कोई कार्यवाही नहीं की तो अपीलार्थीया को मौजूदा कार्यवाही करने का अधिकार कैसे उत्पन्न होता है। इसके अलावा जिस वसीयत के आधार पर अपीलार्थीया अपने आपको उक्त सरबती की वारिस बताती है वह बसीयत भी विवादित है जिसकी बावत रामपति ने एक दावा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गंगापुर सिटी में पेश कर रखा है। जिसमे टी. आई में न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश पारित कर रखे हैं। प्रत्यर्थी संख्या के हक में जो पट्टा संख्या 3152 दिनांक 5–5–2020 को जारी किया था उस पट्टे के विरूद्ध अपीलार्थीया ने दिनांक 20–5–2020 को एक आपत्ति प्रार्थना पत्र आयुक्त नगरपरिषद् गंगापुर सिटी के समक्ष पेश किया था जिससे भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीया को भी उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही का कम से कम मई 2020 में हो ज्ञान हो चुका था। इसके अलावा अपीलार्थीया के पुत्र अशोक ने इस सन्दर्भ में एक एफ. आई. आर. नम्बर 197/2020 मई 2020 में प्रत्यर्थी संख्या के विरूद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी में दर्ज कराई थी। जिसमे भी पुलिस थाना गंगापुर सिटी ने उक्त एफ. आई. आर की कार्यवाही को झूठा माना तथा एफ. आर. नम्बर 50/2020 न्यायालय ए.सी. जे. एम. गंगापुर सिटी में पेश की। जिस एफ. आर. के विरूद्ध उक्त अशोक ने प्रोटेस्ट पिटीशन भी पेश की थी। मगर न्यायालय ए.सी.जे.एम. गंगापुर सिटी ने भी उक्त प्रोटेस्ट पिटीशन व एफ. आई. आर. को गलत माना तथा पुलिस थाना गंगापुर सिटी द्वारा प्रस्तुत एफ. आर. नम्बर 50/2020 को अपने आदेश दिनांक 15–02–2021 से स्वीकार किया। जिन तमाम तथ्यो से यह स्पष्ट है कि उक्त सरबतों व सुशीला देवी को नामान्तकरण संख्या 32 को शुरू से ही पूर्ण जानकारी रही है। उसके बावजूद भी गलत तरीके से यह गलत अपील पेश करने के उद्देश्य से नाटकीय ढंग से उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 5–10–2020 को होना गलत तरीके से अंकित किया है जो किसी तरह प्रमाणित नही है। इस तरह अपीलार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम किसी तरह स्वीकार किये जाने योग्य नही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि 30 साल पुराना दस्तावेज जिस रूप में भी है सही माना जाता है उक्त सिद्वान्त प्राइवेट डोक्यूमेन्ट पर भी लागू होता है।मगर मौजूदा प्रकरण में तो अपीलार्थीया द्वारा जिस दस्तावेज को चेलेन्ज किया गया है वह सरकारी दस्तावेज है जो कि सरकारी अधिकारियों द्वारा विधि सम्मत तरीके से तैयार किया गया था और उक्त सरबती की मौजूदगी में उसके द्वारा जाहिर करने के आधार पर बनाया गया था जो कि 64 साल पुराना दस्तावेज है। इस तरह भी उक्त दस्तावेज को मौजूदा अपील के माध्यम से चेलेन्ज नहीं किया जा सकता और अपीलार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी तरह स्वीकार किये जाने योग्य नही रहता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अपील अन्दर मियाद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा मूल अपील निरस्त कर नामान्तकरण सं0 32 दिनांक 16.08.1956 कस्बा गंगापुर सिटी यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

1. नामान्तकरण सं0 32 में अंकित किया हुआ है कि "आज ये नामान्तकरण पेश हुआ, मु0 सरवती व रामनाथ व ऊकांर हाजिर है और जाहिर किया कि सरवती ने अपने खातेदारी की आराजी खं0नं0 678/13 में से भूमि रामनाथ महाजन व मानकचंद महाजन को बेच दी है जिसकी रजिस्ट्री तहसील से हो चुकी है अतः सरवती के बजाय खातेदारी रामनाथ पुत्र भोरीलाल व मानिकचंद पुत्र रामनाथ महाजन अग्रवाल के नाम माफिक नामान्तकरण मंजूर की जाती है।"
2. अपीलार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत सरवती द्वारा सुशीला के हक में की गई वसीयत जो दिनांक 21.06.2011 को पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 9 पृष्ठ संख्या 46 कम संख्या 2011000006 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 6 के पृष्ठ संख्या 327 से 332 पर चस्पा किया गया का अवलोकन किया गया। उक्त वसीयत में भी किसी प्रकार का रकबा अंकित नहीं किया हुआ है।
3. अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.01.1956 का अवलोकन किया गया। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र की प्रमाणित प्रति में भी कितना हिस्सा बेचान किया गया है, स्पष्ट अंकित नहीं है।
4. अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2030 सम्वत् 2018 का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी के अनुसार रामनाथ पुत्र भौरीलाल व मानक चंद पुत्र रामनाथ जाति महाजन खं0नं0 364 रकबा 8 बिस्वा अंकित किया हुआ है।
5. अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत भूमि एकीकरण खतौनी का अवलोकन किया गया। भूमि एकीकरण खतौनी में रामनाथ पुत्र भौरीलाल व मानकचन्द्र पुत्र रामनाथ कौम महाजन खं0नं0 364 रकबा 5 बिस्बा अंकित किया हुआ है।
6. अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072– 75 का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी के अनुसार खं0नं0 463/638 रकबा 0.0291 गिर्राज प्रसाद पुत्र मानकचंद हिस्सा पूर्ण जाति महाजन सा0देह खातेदार राजस्व रिकोर्ड (अधिकार अभिलेख) जमाबन्दी में दर्ज रिकोर्ड है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

7. अपीलार्थी पक्ष द्वारा एक विक्रय पत्र खं0नं0 678 दिनांक 13 जनवरी 1956 की फोटोकोपी स्वसत्ययापित प्रस्तुत की है। जिसका प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी में अंकन नहीं हे तथा दस्तोवजों की सूची संख्या 8 में अंकित है। उक्त फोटोकोपी के अनुसार उक्त फोटोकोपी की मूल नकल दिनांक 14.09.83 को आवेदन किया था तथा दिनांक दिनांक 14.09.83 को नकल प्राप्त हो चुकी थी।
8. उक्त मूल अपील में अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 05.10.2020 को होना अंकित किया है जबकि अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2027 से 2030 की नकल अपीलार्थीगण को दिनांक 04.06.2020 को ही प्राप्त हो चुकी थी। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी को मुताबिक पत्रावली दस्तावेज अवलोकनोपरान्त वाद हेतुक (**Cause of action)** दिनांक 04.06.2020 को कारित हो चुका था अर्थात् आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दिनांक 05.10.2020 कोई वाद हेतुक (**Cause of action)** उत्पन्न नहीं हुआ अर्थात् प्रकरण स्वतः ही प्रचलित विधि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत अपोषणीय **(None Maintainable)** है।
9. जहां तक दफा 5 मियाद अधिनियम 1956 का प्रश्न है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्य इस प्रकार है:–

" आज यह नामान्तकरण पेश हुआ, मु0 सरबती व रामनाथ व ऊँकारया हाजिर है और जाहिर किया कि सरवती ने अपनी खातेदारी की आराजी 678/13 मे से भूमि रामनाथ महाजन व माणकचन्द्र महाजन को बेच दी है। जिसकी रजिस्ट्री तहसील से हो चुकी है, अतः सरबती के बजाय खातेदारी रामनाथ पुत्र भौरीलाल व मानिकचन्द्र पुत्र रामनाथ महाजन के नाम माफिक नामान्तकरण मन्जूर की जाती है दिनांक 16.08.56 "

" नामान्तकरण सं0 32 दिनांक 16.08.1956 वाके ग्राम गंगापुर सिटी भी उक्त सरबती की मौजूदगी में ही खुला था "

अर्थात् मियाद के संबंध में प्रार्थिया सुशीला देवी द्वारा अज अदालत में विचाराधीन अपील के साथ शपथ पत्र भी मिथ्या संलग्न कर न्यायालय के समक्ष तथ्य छिपाऐ गऐ है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी सुशीला देवी पत्नि स्व0 गुलाबचंद द्वारा **Clean Hand** से न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की है जो कि न्यायालय की विधिक प्रकिया के दुरूपयोग व अनावश्यक वाद बहुलता **(Litigation)** को बढाने की श्रेणी में आता

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

है। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से भी ग्राहय नहीं **(Non-Acceptable)** है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम भी खारिज की जाती है।

10. नकल विक्रय पत्र उपपंजीयक गंगापुर सिटी जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि है एवं दिनांक 14.09.83 को प्राप्त नकल की स्व सत्यापित छायाप्रति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 के तहत क्रमशः द्वितीय /तृतीय श्रेणी साक्ष्य की श्रेणी में आते है,जिन्हे मा0 उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर ने एस0बी0सिविल रिट पीटीशन सं0 17903/2025 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2026 के बिन्दु संख्या 26 (**"A Photocopy cannot be impounded in the absence of the original instrument "**) अनुसार साक्ष्य की श्रेणी में ग्राहृय नहीं माना गया है।

11. अतः अपील दफा 5 मियाद परिसीमा अधिनियम के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 (क) व माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित निर्णय के तहत साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी